

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 1545/2020

UPRN180027252020



सरकार

बनाम

पूतराज आदि

धारा 325, 323, 504, 506 भा०द०सं०

मु०अ०सं० 581/2019

थाना घाटमपुर, कानपुर नगर

आरोप

मैं धर्मेन्द्र सिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात आप लोगों पूतराज, रमेश, छुन्नू व बउवन को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ।

प्रथम- यह कि दिनांक 05/05/2019 को समय 17.00 बजे बहद स्थान ग्राम देवीपुरवा, गड़ोलामऊ थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कुन्ती गौतम के देवर कैलाश व जेठ जगदीश को लाठी डण्डों से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 325 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कुन्ती गौतम के देवर कैलाश व जेठ जगदीश को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कुन्ती गौतम व उसके परिवारीजन को लोकशान्ति भंग कराने के प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा कुन्ती गौतम व उसके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आप लोगो ने धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आप लोगों को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक – 06/02/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की।

दिनांक – 06/02/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562